

ब्यान हल्फिया

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी.....
..... तहसील व जिला फतेहाबाद का निवासी हूँ तथा मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित
ब्यान करता/करती हूँ :

1. यह कि मैं उपरोक्त पत्ते का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मैंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कार्यालय फतेहाबाद में एच0पी0 सबमर्सिबल/मोनोब्लाक सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम हेतु आवेदन किया है/कर रहा हूँ।
3. यह कि मैं अपने खेत जोकि गावं तहसीलजिला फतेहाबाद में स्थित हैं, मैं अपनी एकड जमीन में सिचाई हेतु सूक्ष्म सिचाई प्रणाली हेतु सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम खेत में बने पानी के तालाब पर अनुदान दर पर स्थापित करवाना चाहता हूँ।
4. यह कि मैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा के वर्ष 2018-19 की दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खेत में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की स्थापना से पहले अपने स्वयं के खर्च से सूक्ष्म सिचाई प्रणाली को स्थापित करवाकर कृषि विभाग तथ बागवानी विभाग, फतेहाबाद से सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त करके नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग फतेहाबाद के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करूंगा। ऐसा ना करने की अवस्था में मेरी पात्रता रद्द कर दी जावे।
5. यह कि यदि मैं उपरोक्त सिस्टम की स्थापना से पूर्व अपने खेत में सूक्ष्म सिचाई प्रणाली को स्थापित नहीं कर पाता हूँ तो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सोलर पम्प पर दी गई अनुदान राशि को उपरोक्त विभाग को तुरन्त वापिस जमा करवाने के लिए पाबन्द रहूंगा।
6. यह कि मैं मेरे खेत में सोलर वाटर पम्प स्थापित होने से लेकर कम से कम सात वर्ष तक खेत में बने तालाब व सूक्ष्म सिचाई तकनीक तथा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को नहीं उखाड़ूंगा/ना ही बिक्री करूंगा।
7. यह कि मैं हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त स्कीम के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु पाबन्द रहूंगा।

दिनांक.....

शपथकार

तसदीक:-

मैं पुनः घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी व ब्यान मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है तथा मैं उपरोक्त का पाबन्द रहूंगा।

दिनांक :

स्थान :

शपथकार

आधार न0.....(जो आवेदन फार्म में दिया गया)

मोबाईल न0.....(जो आवेदन फार्म में दिया गया)